बिहार सरकार

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना – 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,
Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संचिका संख्या : SHSB/PM/2411.
पत्रांक :

प्रेषक : अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

सेवा में,
सभी दर अनुबंधित निर्माता फर्म/
सभी दर अनुबंधित स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता/डीपो

पटना, दिनांक : ....

विषय : फर्मो द्वारा रखी गयी सरकारी राशि के विरुद्व दवा आपूर्ति/वापस करने के संबध में अंतिम स्मार पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 10.12.12 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में चुनिंदा सिविल सर्जनों, अधीक्षकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के बीच दवा आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें कई सिविल सर्जन एवं अधीक्षकों के द्वारा सूचित किया गया कि दर अनुबंधित फर्मो के स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा अग्रिम रूप में बैंक डिमांड ड्राफ्ट/चेक अनधिकृत रूप से रख लिया जाता है तथा उक्त लंबित राशि के विरूद्ध ना तो जल्दी औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों की आपूर्ति की जाती है और ना ही लंबित राशि को ही लौटाया जा रहा है। यह कृत्य खेदजनक एवं दर अनुबंध शर्तो का सीधा उल्लंघन है।

कृपया स्पष्ट किया जाये कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 11662 दिनांक 28.8.09 एवं पत्रांक 12630 दिनांक 23.10.09 तथा दर अनुबंधित फर्मो की सूची के साथ संलग्न terms and condition के कंडिका 05.03 में दिये गये निदेश के उल्लंघन करते हुये बिना व्यादेशित औषधि की शत-प्रतिशत आपूर्ति किये बिना किस परिस्थिति में स्थानीय डीपो/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अनधिकृत रूप से सरकारी राशि रखा गया है?

उक्त के आलोक में निदेशानुसार निदेशित है कि दिनांक 28.12.12 तक जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लंबित सरकारी राशि के विरूद्ध औषधियों की आपूर्ति करना सुनिश्चित की जाय अथवा लंबित सरकारी राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक संबंधित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सम्बंधित सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति को लौटाना सुनिश्चित किया जाये। निर्धारित तिथि तक सरकारी राशि का सामंजन नहीं होने की स्थिति में अनधिकृत रूप से सरकारी राशि रखने के आरोप में निर्माता फर्म एवं स्थानीय डीपो के संचालक आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध सम्बंधित जिलो के स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया जायेगा।

यह अंतिम स्मार समझा जाये।

विश्वासभाजन
ह0/-
(अपर निदेशक)

ज्ञापांक : 10329 पटना, दिनांक 19.12.12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य-सह- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये निदेशित है कि निर्धारित तिथि तक फर्म के द्वारा सरकारी राशि का सामंजन नहीं करने की स्थिति में मूल निर्माता फर्म एवं उनके स्थानीय आपूर्तिकर्ता पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त निदेश का अनुपालन कराने की कृपा करें।
प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम/जिला लेखा प्रबंधक/क्रय लिपिक/लेखापाल/सभी भंडारपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर निदेशक 19/12/12